प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Madhya Pradesh Vidhan Sabha Pensions—Bus Travelling allowance.

Ref:- 1. Accountant General (A&E) II MP Gwalior SSA No.PAI/MLA/TA/3159-3280 Dt.10.10.2011

2. Government of Madhya Pradeshn No 1561/VS dt.11.07.2011

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Gwalior in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

Registered Post
(Under Special Seal Authority)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II MADHYA PRADESH
GWALIOR (M.P.)

No. PAI/M.L.A./ Traveling Allowance/ **3195-3280** Dated: 10 OCT 2011

To,

The Accountant General (A&E)
Andhra Pradesh, Hydrabad

Sub.: Regarding-Payment of every member and every person of Madhya Pradesh Vidhan Sabha entitled to pension under section 6-A Bus Traveling Allowance at the rate of Rs.500/- P.M. w.e.f. 27-04-2010.

Sir,

I am enclosing herewith Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Bhopal, Madhya Pradesh Gazette, No. 228, dated 27-04-2011, regarding the Payment of every member and every person of Madhya Pradesh Vidhan Sabha entitled to pension under section 6-A Bus Traveling Allowance at the rate of Rs.500/- P.M. w.e.f. 27-04-2010. These instructions contained therein may be followed strictly. The entire pension disbursing banks in the district may be directed suitably to pay the above subject of benefits to every member and every person of Madhya Pradesh Vidhan Sabha entitled to pension without delay.

Encl: As above

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer/ PAI

Endt. No. PAI/ 3195-3280 **Dated:**

1. Under Secretary, Secretariat, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Bhopal, with reference to his letter No. 613/ V.S./ S.L./ 2011 Bhopal, dated 02-08-2011 for Information.
2. Director of Treasury & Accounts, M.P. Bhopal for Information.

Sr.Accounts Officer/ PAI

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 1561 /वि.स./ भोपाल—462 003, दिनांक 11.7.11

प्रेषक :-

प्रियनाथ त्रिपाठी
उप सचिव

प्रेषिती:-

वरिष्ठ लेखाधिकारी, पी आर 1,
कार्यालय महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी(द्वितीय)
लेखा भवन,झांसी रोड, ग्वालियर (म0प्र0)

विषय:- मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 2010 के अनुसार पूर्व सदस्यों के बस यात्रा भत्ता के संबंध में ।

महोदय,

विषयान्तर्गत मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-4'-11 में प्रकाशित मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2011 की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रत्येक सदस्य को धार-6 क के अधीन पेंशन के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति को 500-00 रूपये प्रतिमाह की दर से बस यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि भूतपूर्व सदस्यों को बस यात्रा भत्ता दिनांक 27-4-2010 से प्रभवशील है । बस यात्रा भत्ता पेंशन के साथ देय है तद्नुसार भुगतान के संबंध में समस्त कोषालय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए की गई कार्यवाही से सचिवालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

कृपया इसे प्राथमिकता दें ।

भवदीय,

(पी0 एन0 त्रिपाठी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,
दूरभाष क्रमांक 0755-2440216

O/C

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल 2011—वैशाख 7, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 2614-166-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्‌द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०११

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २३ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक २७ अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह दिनांक २७ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ५ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बस यात्रा भत्ता.

''५ प्रत्येक सदस्य को तथा धारा ६-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार प्रत्येक व्यक्ति को पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से बस यात्रा भत्ता दिया जाएगा.''.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2011

क्र. 2615-166-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.15 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 23rd April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th April,2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodan) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 27th April, 2010.

Substitution of Section 5.

2. For Section 5 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the following Section shall be substituted, namely :—

Bus Travelling Allowance.

"5. There shall be paid to every member and every person entitled to pension under section 6-A Bus Travelling Allowance at the rate of five hundred rupees per mensem.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.